न्यायालयः–उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सलूम्बर, जिला–सलूम्बर

बजरिये श्री जगदीश चन्द्र बामनिया आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 20/2020 प्रा.प.

जी.सी.एम.एस. नम्बर 2020/00014

उनवान

1. श्री वाला पिता डुंगरी डॉगी उम्र बालिग।
2. श्रीमति लीला पुत्री डुंगरी डॉगी उम्र बालिग।
3. श्री कचरा पिता डुंगरी डॉगी उम्र बालिग।
4. श्री गलजी पिता डुंगरी डॉगी उम्र बालिग।

सभी निवासी झल्लारा तहसील झल्लारा हाल जिला सलूम्बर (राज.)।

– प्रार्थीगण

विरूद्ध

1. श्री हीरा पिता भुरा डॉगी उम्र बालिग।
2. श्री पेमु पिता भुरा डॉगी उम्र बालिग।

सभी निवासी झल्लारा तहसील झल्लारा हाल जिला सलूम्बर (राज.)।

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 39 नियम 1 व 2 जा.दी.

–::निर्णय::–

दिनांकः– 17/11/2025

उपस्थितिः श्री गोपाल चौबिसा अधिवक्ता – प्रार्थीगण
श्री भगवतीलाल सुथार अधिवक्ता – विपक्षीगण

प्राथीगण ने प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 39 नियम 1 व 2 सी. पी. सी. का प्रस्तुत कर अंकित किया कि मौजा एवं पटवार हल्का झल्लारा तहसील झल्लारा खाता नं. 499 आराजी नम्बर 1331/0.22, 1332/0.11, 1333/0.10, 1334/0.43, 1586/0.11, 1587/0.13, 721/0.13, 722/0.13, 733/0.05, 734/0.06, 735/0.26, 736/0.12, 737/0.07 कुल खेत 13 रकबा 1.92 हैक्टेयर कृषि भूमि प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की अविभाजित है जिसमें प्रार्थीगण चारों का संयुक्त रूप से 1/2 आधा हिस्सा तथा दोनो विपक्षीगण का संयुक्त रूप से 1/2 आधा हिस्सा है। साबिक आराजी का रकबा 10 बीघा 16 बिसवा था = 2.3334 हैक्टेयर में से हाल आ.नं. 723 बिलानाम में 0.41 हैक्टेयर मिला दिया है उसका अलग वाद मु.नं. 73/11 रा. वा. होकर न्यायालय मे विचाराधिन है। इस वाद में प्रार्थीगण सिर्फ वादग्रस्त भूमि का बंटवाडा कराना चाहते है। इस वाद में आराजी नं. 733 मीन रकबा 0.4100 हेक्टर वादग्रस्त नही है।

वादग्रस्त कृषि भूमि अविभाजित है जिसका आज तक माप एवं सीमाओं द्वारा विधिवत पांती बंटवाडा नही हुआ है एवं विपक्षीगण बाहुबली है जो प्रार्थीगण को गरीब व कमजोर समझकर अधिक भूमि पर जबरन काश्त करते है एवं प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

की फसल में मवेशी डालकर फसल का नुकसान कराते है एवं प्रार्थीगण को कई बार मारपीट कर चुके है उक्त कृषि भूमि में करीब 0.05 हैक्टेयर में प्रार्थीगण के घर व मवेशीघर बने हुऐ है एवं विपक्षीगण के घर भी 0.05 हे. में बने हुऐ है शेष भूमि में प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण शामलाती में काश्त करते चले आ रहे है परन्तु अब आगे शामलाती काश्त करना संभव नही होने से प्रार्थीगण ने वादग्रस्त भूमि का पांती बंटवाडा का यह वाद एवं अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र विपक्षीगण के विरूद्ध पेश किया है। यदि विपक्षीगण के विरूद्ध शीघ्र स्थाई व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की गई तो विपक्षीगण बाहुबली है सो हम प्रार्थीगण को कभी भी अपने 1/2 आधे हिस्से से बेदखल कर सकते है अथवा भूमि व फसल बर्बाद कर सकते है जिससे प्रार्थीगण को जो क्षति होगी उसका रूपये पैसो में मूल्यांकन नही हो पावेगा एवं अनेक वाद लाने पड़ेंगे एवं महान असुविधा होगी। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष मे है। अतः प्रार्थना है कि असल वाद के निर्णय तक विपक्षीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि प्रार्थना पत्र की कम संख्या 2 दो में वर्णित भूमि में प्रार्थीगण के 1/2 आधे हिस्से की भूमि तक प्रार्थीगण के शान्तिपूर्वक काश्त कब्जे में विपक्षीगण किसी प्रकार की दस्तनदाजी नही करे एवं नही उक्त कृत्य अपने परिजनों, नौकरो, मजदूरों से करावें एवं अन्य उचित व आवश्यक दाद दिलाई जावें।

2– प्रार्थना पत्र जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को तलवी हेतु नोटिस जारी किया गया। विपक्षीगण की ओर से अधिवक्ता श्री भगवतीलाल सुथार हाजिर आये। विपक्षीगण ने जवाब पेश कर अंकित किया कि वादग्रस्त भूमि अविभाजित होना स्वीकार है, जिसका माप एवं सीमाओ द्वारा पांति बंटवाडा नही होना स्वीकार है किन्तु मौके पर प्रार्थीगण व विपक्षीगण व उसका एक अन्य चचेरा भाई जो प्रार्थीगण के पिता का भाई गोता व प्रतिवादीगण के पिता का भाई गोता के पुत्र तेजी का भी हिस्सा था जो उक्त भूमि पर खरिदने के समय से काबिज है, जिसका हिस्सा होने के बावजूद परिस्थितिवश गोता के नाम उस समय पंजीयन नहि हो पाया था उसके बाद तेजा के नाम भी उक्त भूमि नहि आई है, उक्त भुमि में 1/3 भाग कुलिया का हिस्सेदार होना चाहिये था किन्तू गोता के दोनो भाई प्रार्थीगण के पिता के भाई व विपक्षीगण के दादा के नाम उक्त भुमि का पंजीयन किया गया था व यह तय किया गया था कि उक्त वर्णित भुमि मे गोता के वारिसानो को 1/3 हिस्सा कायम रहेगा, उसका पंजीयन करवा कर उसे भुमि प्रदान कर देंगे। उसी अनुसार तेजी पटेल जो गोता का पुत्र है मौके पर काबिज है जिसको मोके पर तयशुदा भुमि विपक्षीगण संख्या 1, 2 देने को तैयार है व गांव के लोगो के सामने प्रार्थीगणो ने लिखतम करके उक्त भूमि मेसे काबिज तेजा को देने का इकरार भी कर चुके हैं, उसी अनुसार प्रार्थीगण व विपक्षीगण कि भुमि में तेजा का हक है हिस्सा बनता है जिसके अभाव मे भुमि का बंटवाडा किया जाना सम्भव नहीं है।

वादग्रस्त भूमि में 1/2 प्रार्थी के खाते कि भुमि नहीं है प्रार्थीगण कुलिया भुमि में 1/3 हिस्सा भुमि के ही हकदार है जिससे ज्यादा भूमि बंटवाडा में उनको प्राप्त नही हो सकती है। प्रार्थीगण स्वयं विवाद को बढ़ाने पर आमादा है वो तेजा के हिस्से कि भुमि उसको देने के पक्ष में नहीं है। विपक्षीगण के द्वारा प्रार्थी कि फसल को कभी नही नुकसान पहुंचाया बल्कि प्रार्थीगण जानबूझ कर एक भाई के पुत्र तेजा को उसका हिस्सा नही देना चाहते है। प्रार्थीगण व विपक्षीगण मौके पर अपने हिस्से में बेठे है जिससे किसी के द्वारा दुसरे को नुकसान पहुंचाने कि व अपुरणिय क्षति होने जैसी कोइ मामला नही है। सयुक्त खातेदारी के मामले में स्थाई व अस्थाई निषेधाज्ञा नही प्रदान कि जा सकती है।

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

विपक्षीगण ने जवाब के अन्त मे विषेश कथन कर अंकित किया कि प्रार्थीगण ने प्रार्थनापत्र को अपुर्ण दस्तावेजो पर तथ्यो को छिपाकर पेश किया गया है। यह कि प्रार्थी व विपक्षीगण के खाते कि उक्त भूमि में उनका एक अन्य व्यक्ति जो प्रार्थीगण व विपक्षीगण संख्या 1, 2 के पिता का भाई गोता था जो उक्त भूमि खरिदते समय उक्त भूमि का क्रेता था किन्तु उस समय कि परिस्थिति के कारण उसके अनुपस्थिति मे उक्त भूमि का पंजीयन सिर्फ तेजा के पिता के भाई प्रार्थी व विपक्षीगण के भाई डुंगरी व भुरा के नाम ही हुआ था मौके पर तीनो भाइयो के वारिस काबिज है व गोता पटेल के वारिस का पुत्र तेजी भी काबिज काश्त है उसके मौके पर उक्त समय से कब्जा है मकान व बाडा है व उसपर खेतीबाडी आदि करता रहा है। प्रार्थीगण क्लीन हेंड से न्यायालय में नहीं आये है।एवं पक्षकारो का भी कुसंयोजन है प्रार्थीगणो के साथ मौके पर काबिज तेजा को भी वाद का पक्षकार बनाना चाहिये था जो प्रार्थीगणो ने जानबूझकर नहीं बनाया है इसलिये प्रार्थनापत्र खारिज फरमाया जावे तथा प्रार्थीगण को पांबद करावे कि विपक्षीगण के खातेदारी कि भूमि में हस्तक्षेप ना करे।

पत्रावली मे उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने बहस मे प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए किया कथन किया कि प्रार्थनापत्र मे वर्णित कुल खेत 13 रकबा 1.92 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण व विपक्षीगण के संयुक्त खातेदारी की है जिसका पक्षकारो के मध्य विधिवत पांती बंटवाडा नही हुआ है। तथा भूमि अभी तक अविभाजित है। विपक्षीगण प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि में दखल कर रहे हैं। अतः असल वाद के निर्णय तक विपक्षीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि प्रार्थना पत्र की कम संख्या 2 दो में वर्णित भूमि में प्रार्थीगण के 1/2 आधे हिस्से की भूमि तक प्रार्थीगण के शान्तिपूर्वक काश्त कब्जे में विपक्षीगण किसी प्रकार की दस्तनदाजी नही करे।

विपक्षीगण ने बहस अपने जवाब मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित वादग्रस्त भूमि संयुक्त खातेदारी की होकर अविभाजित होना स्वीकार है। उक्त वर्णित भूमि में एक तीसरा व्यक्ति (तेजा पुत्र गोता) भी हिस्सेदार है, जो वर्तमान वाद एवं प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं बनाया गया है। भूमि का अंतिम बंटवारा या स्वामित्व तब तक तय नहीं किया जा सकता जब तक सभी संभावित हिस्सेदारों को पक्षकार नहीं बनाया जाए। विपक्षीगण के द्वारा प्रार्थी कि फसल को कभी नही नुकसान पहुंचाया बल्कि प्रार्थीगण जानबूझ कर एक भाई के पुत्र तेजा को उसका हिस्सा नही देना चाहते है। प्रार्थीगण व विपक्षीगण मौके पर अपने हिस्से में बैठे है जिससे किसी के द्वारा दुसरे को नुकसान पहुंचाने कि व अपुरणिय क्षति होने जैसा कोई मामला नही है। सयुक्त खातेदारी के मामले में अस्थाई निषेधाज्ञा नही प्रदान कि जा सकती है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

बहस मनन की गई। न्यायालय ने प्रार्थीगण एवं विपक्षी दोनों पक्षों की दलीलें, प्रस्तुत दस्तावेज एवं अभिलेखों पर विचार किया। मौजा एवं पटवार हल्का झल्लारा तहसील झल्लारा राजस्व जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 खाता संख्या 499 कुल किता 13 रकबा 1.92 हैक्टेयर कृषि भूमि प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के नाम संयुक्त खातेदारी की होकर अविभाजित होना प्रकट आया है। विपक्षीगण द्वारा बताए गए कथित गोता के पुत्र तेजी नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित नहीं है। विपक्षीगण अपने उक्त कथन के समर्थन मे ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया है जिससे विपक्षीगण के कथन को बल मिले। अतः तेजी पुत्र गोता विधिक दृष्टि से इस समय सह–स्वामी नहीं माना जा सकता।

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

प्रार्थीगण ने यह कथन अवश्य किया है कि विपक्षीगण उन्हें भूमि से बेदखल कर सकते हैं या उनकी फसल को नुकसान पहुँचा सकते हैं, परंतु इस कथन के समर्थन में प्रार्थीगण के द्वारा कोई दस्तावेजी या प्रत्यक्ष साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। मात्र आशंका या अनुमान के आधार पर अंतरिम राहत प्रदान नहीं की जा सकती। प्रार्थना पत्र पेश करने के बाद इतने लम्बे समय तक प्रार्थना पत्र चलने के बावजूद कभी प्रार्थीगण ने न्यायालय में यह कथन किया हो की विपक्षीगण द्वारा कोई दखलन्दाजी की हो। अतः प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाने का कोई ठोस कारण न्यायालय नही पाता है।

–::आदेश::–

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 39 नियम 1 व 2 जा.दी. का मजबूत आधार पर आधारित नही होने से खारिज किया जाता है।

प्रार्थीगण को यह स्वतंत्रता दी जाती है कि यदि भविष्य में किसी प्रकार का प्रत्यक्ष हस्तक्षेप या दखन्दाजी विपक्षीगण द्वारा की जाती है तो वह विधि अनुसार उपयुक्त आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले दिनांक 17/11/2025 को न्यायालय मे सुनाया गया।

(जगदीश चन्द्र बामनिया आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर
सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला–सलूम्बर
जिला सलूम्बर